

26/24

19/3/25

पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता अपीलांत अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट अधिवक्ता उप। न्यायालय समय में कई बार आवाज लगायी गयी फिर भी अपीलांत अधिवक्ता उपस्थित नहीं। लिहाजा हस्तगत अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। **LC श्री पत्रा-अन डिग्री प्रति लैरपी**

जावे/अ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर